अधिप्राप्ति Procurement Rule

विषय सूची

क0 सं0	विषय	शासनादेश संख्या / दिनांक	पृष्ठ संख्या
1.	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली 2008 के अधीन राज्य के सहकारी संस्थाओं को 10 प्रतिशत की सीमा तक क्रय वरीयता दिया जाना	सं0 586 / xxvii(7) / 2010 दिनांक 18 जून, 2010	283–284
2.	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अध्याय–5 में वाह्य स्रोत से सेवायें कराये जाने विषयक नियम–64 के अन्तर्गत गढवाल मण्डल विकास निगम को छूट दिया जाना	सं0 647 / xxvii(7) / 2010 दिनांक 16 सितम्बर, 2010	285–286
3.	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेन्ट) नियमावली 2008 के अध्याय–3 में निर्माण कार्य की अधिप्राप्ति विषयक नियम–39 में आपदा राहत कार्यो के लिए शिथिलीकरण	सं0 748 / xxvii(7) / 2010, दिनांक 4 नवम्बर, 2010	287–288
4.	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेन्ट) नियमावली 2008 के अधीन राज्य की सहकारी संस्थाओं से अधिप्राप्ति की प्रकिया विषयक कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21 जुलाई, 2009 एवं कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18 जून, 2010 का संशोधन	सं0 774 / xxvii(7) / 2010 दिनांक 29 दिसम्बर, 2010	289–290
5.	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति प्रोक्योरमेन्ट नियमावली, 2008 के अध्याय–3 में निर्माण कार्य की अधिप्राप्ति विषयक नियम–39 में संशोधन	सं0 836 / xxvii(7) / 2010 दिनांक 04 फरवरी, 2011	291–292
6.	वाह्य सहायतित परियोजनाओं तथा भारत सरकार से वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दरों पर कम्प्यूटर सामग्री की अधिप्राप्ति	सं0 881 / xxvii(7) / 2011 दिनांक 16 मार्च, 2011	293–294
7.	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के लोक निजी सहभागिता विषयक अध्याय–6 के प्रस्तर 67(7) के संबंध में	सं0 79 / xxvii(7) / 2011 दिनांक 02 जून, 2011	295–296
8.	उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग में ई–प्रोक्योरमेंट सिस्टम लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	सं0 252 / iii(3) / 2011–901 (ए0डी0बी0) / 2008 दिनांकः 06 जून, 2011	297–300
9.	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अन्तर्गत न्यूनतम दर की युक्तियुक्तता का आकलन किया जाना।	सं0 91 / xxvii(7) / 2011 दिनांक 15 जून, 2011	301–302
9.	उत्तराखण्ड के समस्त विभागों में ई–प्रोक्योरमेंट सिस्टम लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	सं0 102 / xxvii(7) / 2011 दिनांक 06 जुलाई, 2011	303–306
10.	ई–प्रोक्योरमेन्ट सेल का गठन किया जाना।	सं0 103 / xxvii(7) / 2011 दिनांक 07 जुलाई, 2011	307–308

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्या:586 / XXVII(7) / 2010
देहरादून, दिनांक:18 जून,2010

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली,2008 के अधीन राज्य के सहकारी संस्थाओं को 10 प्रतिशत की सीमा तक क्रय वरीयता दिया जाना।

वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या:203 / XXVII(7) / 2009 दिनांक 21 जुलाई,2009 द्वारा राज्य के सहकारी संघ के माध्यम से रू0 15,000 से अधिक तथा रू0 1,00,000 / – तक की लागत की सामग्री का क्रय विभाग द्वारा सहकारी संघ से मूल्य की औचित्यता से संतुष्ट होते हुए सीधे क्रय समिति के माध्यम से करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके साथ–साथ रू0 15,00,000 / – की सीमा तक की सामग्री के क्रय हेतु अपनाये जाने वाली टेन्डर इन्क्वायरी की प्रकिया में राज्य सहकारी संघ को भी रजिस्टर्ड सप्लायर के रूप में निविदादाता की सूची में सम्मिलित किये जाने की व्यवस्था की गई हैं। उक्त के कम में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि टेन्डर रिक्वायरमेंट की सभी शर्ते पूर्ण करने,अन्य सभी तथ्य समान होने तथा सहकारी संघ के कोट किये गये प्राईस एल–1 प्राईस के 10 प्रतिशत की सीमा में रहने तथा संघ द्वारा एल–1 प्राईस को मैच करने के लिए सहमत होने पर सहकारी संघ को 10 प्रतिशत की सीमा तक क्रय वरीयता अनुमन्य होगी परन्तु एल–1 दरों से ऊपर किसी प्रकार की कोई मूल वरीयता नहीं दी जाएगी।

कार्यालय ज्ञाप संख्या :203 / XXVII(7) / 2009 दिनांक 21 जुलाई,2009 द्वारा राज्य सहकारी संघ के लिए की गई व्यवस्था की अवधि जो कि 31–03–2010 तक के लिए निर्धारित थी तथा उक्त प्रस्तर–1 में उल्लिखित क्रय वरीयता की अवधि दिनांक 31 मार्च,2011 तक बढ़ाये जाने / रखने की भी एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त

संख्याः 586/xxvii(7)/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.महालेखाकार,उत्तराखण्ड ।
2.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन
3.सचिव विधान सभा, उत्तराखण्ड,देहरादून।
4.सचिव श्री राज्यपाल, उत्राखण्ड,देहरादून।
5.रजिस्ट्रार जनरल,माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल।
6.स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7.अध्यक्ष उत्तराखण्ड, राज्य सहकारी संघ।
8.निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
9.गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्याः 647 / xxvii(7) / 2010
देहरादून, दिनांकः 16 सितम्बर,2010

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अध्याय–5 में वाह्य स्रोत से सेवायें कराये जाने विषयक नियम–64 के अन्तर्गत गढ़वाल मण्डल विकास निगम को छूट दिया जाना।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में आने वाले प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञों के प्रवास एवं भोजन की व्यवस्था आयोग परिसर स्थित अतिथि गृह एवं कैन्टीन में करने हेतु, अतिथि गृह एवं कैन्टीन के रख–रखाव तथा भोजन की कैटरिंग हेतु सूब में उच्च गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता प्राप्त एजेंसी से निविदा प्राप्त न होने के कारण आयोग की अति संवेदनशील एवं गोपनीय कार्य प्रणाली के दृष्टिगत आयोग के अतिथि गृह एवं कैन्टीन के रख–रखाव तथा भोजन की कैटरिंग का कार्य असाधारण परिस्थितियों के आलोक में गढ़वाल मण्डल विकास निगम को अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम–64 के अन्तर्गत दिये जाने हेतु नियमावली के नियम 72(4) के अन्तर्गत निम्न प्रतिबन्धों के अधीन छूट दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) उक्त छूट की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होगी।
(2) मूल्यों की युक्तियुक्तता (प्राईस की रिजनेबलनेस) एवं सेवाओं की गुणवता सुनिश्चित करने का दायित्व आयोग का होगा।
(3) निगम द्वारा आयोग की कार्य प्रणाली की संवेदनशीलता एवं गोपनीयता सुनिश्चित बनाये रखी जाऐगी।
(4) संगत सभी बिन्दुओं का समावेश करते हुए आयोग, गढवाल मण्डल विकास निगम के साथ एक एम0ओ0यू0 निष्पादित करेगा। उक्त छूट की अवधि एम0ओ0यू0 के निष्पादन की तिथि से प्रारम्भ होगी।
(5) उक्त व्यवस्था लोक सेवा आयोग की अति संवेदनशील तथा गोपनीय कार्य प्रणाली तथा आयोग के कार्य हेतु समय–समय पर आने वाले विषय विशेषज्ञों के प्रवास की व्यवस्था हेतु की जा रही है अतः इसे अन्य आयोग / विभाग / संस्थाओं हेतु दृष्टांत के रूप में नहीं माना जाऐगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त

संख्याः 647 (1)/xxvii(7)/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.महालेखाकार,उत्तराखण्ड,देहरादून।
2.प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
3.सचिव, लोक सेवा आयोग, हरिद्वार ,उत्तराखण्ड ।
4.कार्मिक अनुभाग–2, उत्तराखण्ड सचिवालय ।
5.कोषागार अधिकारी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड ।
6.निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड शासन ।
7.गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु07
संख्या 748/XXVII(7)/2010
देहरादूनः दिनांक 04 नवम्बर, 2010

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेन्ट) नियमावली, 2008 के अध्याय–3 में निर्माण कार्य की अधिप्राप्ति विषयक नियम–39 में आपदा राहत कार्यों के लिए शिथिलीकरण।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेन्ट) नियमावली, 2008 के अध्याय–3 में निर्माण कार्यों की अधिप्राप्ति विषयक नियम–39 में बिना निविदा आमंत्रित किये कार्यादेश (Work Order) पर आधारित निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में यह व्यवस्था है कि सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक अवसर पर कम से कम तीन पंजीकृत ठेकेदारों से कोटेशन प्राप्त कर रु0 1,00,000 (रु0 एक लाख) तक की लागत के कार्य करा सकता है। राज्य में आई भीषण आपदा से हुयी क्षति के दृष्टिगत क्षतिग्रस्त कार्यों के त्वरित पुनर्निर्माण हेतु प्रोक्योरमेन्ट नियमावली के नियम–72 (4) के अन्तर्गत विशेष परिस्थितियों में उत्तररराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम–39 में शिथिलीकरण करते हुए आपदा राहत कार्यों के निष्पादन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक अवसर पर कम से कम 3 पंजीकृत ठेकेदारों से कोटेशन प्राप्त कर रु0 1,00,000 (रु0 एक लाख) तक की लागत के कार्य कराये जाने की सीमा को बढ़ाकर रु0 2,00,000 (रु0 दो लाख) किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–अधिप्राप्ति नियमावली के नियम–39 में उक्त शिथिलीकरण केवल एक बार आपदा राहत कार्यों के त्वरित निष्पादन के लिए किया जा रहा है। उक्त शिथिलीकरण आपदा राहत–निधि से विभिन्न विभागों के लिए आवंटित बजट से कराये जाने वाले कार्यों के लिए किये जा रहा है।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्या 748(1)/XXVII(7)/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2–प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड।
3–सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग उत्तराखण्ड।
4–मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल उत्तराखण्ड।
5–समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड।
7–स्टॉफ अफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
8–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
9–समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10–सलाहकार वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड।
11–वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्या– 774 /XXVII(7)/2010
देहरादूनः दिनांकः 29 दिसम्बर, 2010

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेन्ट) नियमावली, 2008 के अधीन राज्य की सहकारी संस्थाओं से अधिप्राप्ति की प्रकिया विषयक कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21 जुलाई, 2009 एवं कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18 जून, 2010 का संशोधन।

उपर्युक्त विषयक वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 203/XXVII(7)/2009 दिनांक 21 जुलाई, 2009 तथा संख्या 586/XXVII(7)/2010, दिनांक 18 जून, 2010 के कम में उप सभापति, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी परिषद के पत्र संख्या–211/VIP/2010 दिनांक 2–11–2010 के सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या– 203/XXVII(7)/2009, दिनांक 21 जुलाई, 2009 के प्रस्तर–2 की छठवीं पंक्ति से ग्यारहवीं पंक्ति को नियमानुसार संशोधित किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

"राज्य सरकार के सहकारी संघ के माध्यम से रु0 15,000 से अधिक तथा रु0 1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र) तक की लागत की सामग्री का क्रय सम्बन्धित विभाग द्वारा राज्य सहकारी संघ से मूल्य की औचित्यता से संतुष्ट होते हुए सीधे करने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। क्रय समिति द्वारा सामग्री की गुणवत्ता, विशिष्टता तथा दरों की युक्तियुक्तता (Reasonableness) प्रमाणित की जाएगी"।

2– कार्यालय ज्ञाप संख्या–203/XXVII(7)/2009, दिनांक 21 जुलाई, 2009 के प्रस्तर–2 की उक्त पंक्तियां केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझी जाएं।

3– उक्त व्यवस्था तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या–586/XXVII(7)/2010, दिनांक 18 जून, 2010 द्वारा की गयी क्रय वरीयता की व्यवस्था की अवधि दिनांक 31 मार्च, 2012 तक बढ़ाये जाने की भी एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 774 /XXVII(7)/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3–सचिव, विधानसभा उत्तराखण्ड।
4–सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
5–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
6–रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।
7–स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
8–अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ/उप सभापति उत्तराखण्ड राज्य सहकारी परिषद।
9–निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक।
10–ऑडिट प्रकोष्ठ, वित्त विभाग उत्तराखण्ड।
11–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु07
संख्या 836/XXVII(7)/2010
देहरादूनः दिनांक 04, फरवरी, 2011

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेन्ट) नियमावली, 2008 के अध्याय–3 में निर्माण कार्य की अधिप्राप्ति विषयक नियम–39 में संशोधन।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेन्ट) नियमावली, 2008 के अध्याय–3 में निर्माण कार्यों की अधिप्राप्ति विषयक नियम–39 में बिना निविदा आमंत्रित किये कार्यादेश (Work Order) पर आधारित निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में यह व्यवस्था है कि सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक अवसर पर कम से कम तीन पंजीकृत ठेकेदारों से कोटेशन प्राप्त कर रु0 1,00,000 (रु0 एक लाख) तक की लागत के कार्य करा सकता है। बिना निविदा कार्यादेश के माध्यम से कार्य केवल आपात स्थिति में कराया जा सकता है जिसके लिए समुचित कारण अभिलिखित किये जाने चाहिए। प्रोक्योरमेन्ट नियमावली के प्रख्यापन के पश्चात् निर्माण कार्य की सामग्री तथा पारिश्रमिक की दरों में वृद्धि हो चुकी है इसलिए रु0 1,00,000 (रु0 एक लाख) तक की सीमा के कार्य बिना निविदा के कोटेशन के आधार पर कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अतः कार्य के आधार पर एवं टेन्डर आमंत्रित किये बिना आपात स्थिति में रु0 1,00,000 (रु0 एक लाख मात्र) तक की लागत के कार्य कराने की सीमा को बढ़ाकर रु0 2,00,000 (रु0 दो लाख मात्र) इस नियम की अन्य शर्तें यथावत रखते हुए पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त प्रयोजन हेतु मात्र इसलिए कार्य के अलग–अलग टुकड़े न किये जांय कि उच्च स्तर से इसके लिए आवश्यक अनुमति न लेनी पड़े अर्थात् कार्य को टुकड़ों में विभाजित न किया जाय और इस सम्बन्ध में अधिप्राप्ति नियमावली के नियम–42 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

2–उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम–39 में उक्तानुसार संशोधन यथा समय पर कर लिया जाएगा।

3–आपदा राहत कार्यों के लिए शिथिलीकरण विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या–748/XXVII(7)/2010 दिनांक 4–11–2010 के स्थान पर आपदा राहत कार्यों के लिए भी उक्त प्रस्तर–1 की व्यवस्था प्रभावी होगी।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्या 836 (1)/XXVII(7)/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड।
3–प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड।
4–मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल उत्तराखण्ड।
5–समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6–स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
7–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
8–समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9–सलाहकार वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड।
10–वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
11–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्याः 881 / xxvii(7) / 2011
देहरादून, दिनांकः 16 मार्च, 2011

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–वाह्य सहायतित परियोजनाओं तथा भारत सरकार से वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए डी0जी0एस0एण्ड डी0 की दरों पर कम्प्यूटर सामग्री की अधिप्राप्ति।

कार्यालय के उपयोग हेतु कतिपय आवश्यक सामग्रियों को डी0जी0एस0एण्ड डी0 की दरों के आधार पर क्रय करने हेतु अधिकृत किये जाने के निर्गत शासनादेश संख्या 258 / xxvii(7) / 2008 दिनांक 22 अगस्त,2008 के क्रम में कार्यालय ज्ञाप संख्या 215 / xxvii(7) / 2009 दिनांक 25 अगस्त,2009 के द्वारा ₹ 25 लाख से अधिक लागत की सामग्री डी0जी0एस0एण्ड डी0 की दरों पर उपलब्ध होते हुए भी उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली,2008 के संगत प्राविधानों के आधार पर विज्ञापन द्वारा निविदा पृच्छा प्रकिया के अनुसार क्रय सुनिश्चित करने तथा इस प्रकिया के अनुसार निर्धारित दर डी0जी0एस0एण्ड डी0 की दर से कम न होने की व्यवस्था की गई है।

2– राज्य सरकार के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि वाह्य सहायतित परियोजनाओं / भारत सरकार से वित्त पोषित योजनाओं (यथा 13वें केन्द्रीय वित्त आयोग आदि) के अन्तर्गत कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण के क्रय हेतु धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में अवमुक्त किये जाने तथा विज्ञापन द्वारा निविदा पृच्छा प्रकिया करने में अधिक समय लगने के कारण अवमुक्त धनराशि का समय से उपयोग नही हो पा रहा है। अतः उक्त के दृष्टिगत अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में चल रही सभी वाह्य सहायतित परियोजनाओं एवं भारत सरकार से वित्त पोषित योजनाओं के लिये उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली,2008 के नियम–10(2) के साथ पठित नियम–72(4) के अन्तर्गत कम्प्यूटर के बल्क परचेज(थोक आपूर्ति) हेतु निर्धारित ₹ 25 लाख की सीमा को शिथिल किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– कम्प्यूटर के क्रय हेतु उक्त शिथिलीकरण केवल वाह्य सहायतित परियोजनाओं / भारत सरकार से वित्त पोषित योजनाओं के लिए ही है।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्या:881/XXvii(7)/2011 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार,उत्तराखण्ड,औबेराय भवन, माजरा,देहरादून ।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड ।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड ।
5. रेजीडेन्ट कमिश्नर, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड ।
7. समस्त वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक,उत्तराखण्ड।
8. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड
9. वित्त आडिट प्रकोष्ठ ।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
12. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,/कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7 देहरादूनः दिनांकः 02 जून, 2011

विषयः– उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के लोक निजी सहभागिता विषयक अध्याय–6 के प्रस्तर 67(7) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के लोक निजी सहभागिता विषयक अध्याय–6 के प्रस्तर 67(7) में व्यवस्था है कि **लोक निजी सहभागिता परियोजना के लिए बोली लगाने की प्रकिया दो चरणों में विभाजित होगी। प्रथम चरण को सामान्यतः योग्यता हेतु अनुरोध (आर0एफ0क्यू0) या अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ई0ओ0आई0) के रूप में निर्दिष्ट किया जाए। इसका उद्देश्य प्रकिया के दूसरे चरण के लिए पात्र बोली लगाने वालों की लघुसूची तैयार करना है। दूसरे और अंतिम चरण, जिसे सामान्यतः प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आर0एफ0पी0) या वित्तीय बोलियों का आमंत्रण के रूप में निर्दिष्ट किया जाए, इस में बोली लगाने वाले वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले परियोजना की व्यापक समीक्षा (जांच) कर सकेंगे।**

इस सम्बन्ध में पूर्व मे स्वीकृत लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं के अनुभव के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार प्रकिया को सुगम बनाये जाने की दृष्टि से लोक निजी सहभागिता विषयक अध्याय–6 के प्रस्तर 67(7) के अन्तर्गत प्रशासकीय विभाग, वित्त विभाग की सहमति से सम्यक विचारोपरान्त औचित्य के आधार पर परियोजना के लिये बोली लगाने की प्रकिया (Invitation of Bid) को एक चरण (One Stage) में भी निर्धारित कर सकते है, यथा आर0एफ0क्यू0/ई0ओ0आई0 तथा आर0एफ0पी0 दो बिड प्रणाली के अन्तर्गत एक साथ आमंत्रित की जा सकती है।

उपरोक्त नियमावली में अन्य निहित प्राविधान पूर्ववत् लागू रहेंगे।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

पत्र संख्याः–79/xxvii(7)/2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव विधानसभा, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. रजिस्ट्रार जनरल मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. रेजीडेन्ट कमिश्नर उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त कोषागार अधिकारी उत्तराखण्ड।
8. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव

संख्याः 252/ III (3)/2011–901(ए0डी0बी0)/2008

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–3 देहरादून, दिनांकः 26 जून, 2011

विषयः– उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग में ई–प्रोक्योरमेंन्ट सिस्टम लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक लोक निर्माण विभाग में ई–टेन्डरिंग सिस्टम लागू किये जाने के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि धनराशि ₹ 200.00 लाख (₹ दो करोड़ मात्र) से अधिक स्वीकृत लागत के कार्यो की निविदायें राष्ट्र स्तरीय प्रतिस्पर्धात्मक निविदा (National Competitive Bidding) के अन्तर्गत दो निविदा व्यवस्था (Two Bid System) द्वारा एन0आई0सी0 के ई–टेन्डरिंग के माध्यम से निम्नलिखित बिन्दुओं/व्यवस्थाओं के आधार पर दिनांक 07 जून, 2011 से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

1. इलैक्ट्रोनिक प्रोक्योरमेंन्ट अथवा ई– प्रोक्योरमेंन्ट का तात्पर्य वस्तुओं, सेवाओं तथा कार्यों के प्रोक्योरमेंन्ट से सम्बन्धित प्रबन्धन, निविदा प्रक्रिया, अनुबन्ध गठन तथा अनुबन्ध प्रबन्धन की प्रक्रिया को इलैक्ट्रोनिक माध्यम से किया जाना है।
2. ई–प्रोक्योरमेंन्ट सिस्टम सूचनाओं के सुरक्षित आदान–प्रदान, अभिलेखों की विश्वसनीयता तथा इस माध्यम से की गयी सभी प्रकार की कार्यवाही की सम्प्रेक्षा हेतु उपलब्ध रहने की प्रमाणिकता रखेगा।
3. निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग के अवसर, निविदा प्रपत्र, प्री–बिड बैठक, निविदा खोलना तथा अनुबन्ध गठन आदि से सम्बन्धित सभी सूचनायें अनिवार्य रूप से इस सिस्टम के माध्यम से की जायेंगी तथा वे सम्बन्धित हितबद्ध जन सामान्य को उपलब्ध रहेंगी।
4. आपूर्तिकर्ता/निविदादाता प्रोक्योरमेंन्ट सिस्टम पर एक ही बार में पंजीकरण करा पायेगा तथा यदि आवश्यक हो तो यह पंजीकरण की व्यवस्था पर्याप्त समयावधि हेतु उपलब्ध रहने एवं यथाआवश्यकता परिवर्तनीय रखे जाने की व्यवस्था होगी।
5. ई– प्रोक्योरमेंन्ट सिस्टम एक मात्र तथा पूर्ण रूप से लागू किये जाने से पूर्व वर्तमान कागज आधारित (Paper based) निविदा प्रक्रिया तथा इलैक्ट्रोनिक प्रोक्योरमेंन्ट प्रक्रिया साथ–साथ संचालित की जायेगी परन्तु यथासम्भव टैण्डर आमंत्रण केवल ई–टेण्डरिंग आधार पर ही किया जायेगा तथा कागज आधारित प्रक्रिया केवल तकनीकी एवं वित्तीय निविदा का तुलनात्मक विवरण बनाने आदि तक ही सीमित रहेगा। ऐसी दोहरी व्यवस्था के अन्तर्गत टैण्डर प्रक्रिया में अभिलेख, प्रक्रिया, सूचना का आदान–प्रदान, सुरक्षा एवं प्रबन्धन से

सम्बन्धित क्रियाकलाप में समानता रखी जायेगी एवं यथासम्भव निविदा प्रक्रिया में प्रारम्भिक कार्यों में वर्तमान प्रचलित कागज आधारित (Paper based) सिस्टम को प्रतिबन्धित किया जाय। कागज आधारित (Paper based) निविदा प्रक्रिया इस शासनादेश के लागू होने के 06 माह तक प्रचलित रहेगी तथा तत्पश्चात् वर्तमान दोहरी व्यवस्था को समाप्त कर एक मात्र इलैक्ट्रोनिक प्रोक्योरमेन्ट (ई–प्रोक्योरमेन्ट) प्रक्रिया ही लागू रहेगी।

6. निविदा दाता इलैक्ट्रोनिक सिस्टम पर अपने वर्क पेज पर इलैक्ट्रोनिक प्रमाण पत्रों, स्कैन किये गये प्रपत्रों आदि को रख सकेगा तथा इलैक्ट्रोनिक माध्यम से ही कार्यदायी संस्था को प्रेषित कर सकेगा।

7. सम्भावित निविदादाता तथा कार्यदायी संस्था के मध्य निविदा प्रकाशन से निविदा निस्तारण तक सूचनाओं का आदान–प्रदान पत्र, फैक्स अथवा अन्य लिखित अभिलेख द्वारा इलैक्ट्रोनिक माध्यमों से ही होगा। सम्भावित निविदा दाता एवं कार्यदायी संस्था के मध्य दूरभाष से सूचना का आदान–प्रदान वर्जित होगा।

8. कार्यदायी संस्थायें यह सुनिश्चित करेंगी कि निविदा प्राप्त करने का समय व तिथि तथा निविदा खोलने की प्रक्रिया न्यूनतम दो अधिकृत व्यक्तियों एवं यथासम्भव उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में वर्णित सम्बन्धित समिति द्वारा संचालित की जायेगी।

9. कार्यदायी संस्थायें निविदा प्रणाली को संचालित करने वाले अधिकृत व्यक्तियों की निविदा प्रक्रिया, निविदा दाताओं से सम्पर्क, निविदा प्रपत्रों तथा सम्बन्धित विषयों के सम्बन्ध में भूमिका को नियंत्रित करेगी।

10. निविदा दाता निविदा प्रक्रिया के अन्तर्गत निविदा प्राप्ति की अन्तिम समय सीमा के भीतर अपनी निविदा/प्रस्ताव में परिवर्तन, पूर्व प्रेषित निविदा/प्रस्ताव की वापसी इलैक्ट्रोनिक माध्यम से कर सकेंगे।

11. ऐसी अवस्था में जबकि सिस्टम सही प्रकार से कार्य नहीं करता है अथवा निविदा प्रक्रिया हेतु उपलब्ध नहीं रहता है, तो कार्यदायी संस्थायें सभी निविदादाताओं को निविदा प्रपत्रों में तथा वेबसाईट के माध्यम से ऐसी आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग में लाये जाने वाली प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख करेगी।

12. कार्यदायी संस्था निविदा प्रक्रिया से सम्बन्धित सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त सभी प्रपत्र अथवा इलैक्ट्रोनिक अभिलेखों को संरक्षित एवं सुरक्षित रूप से रखना सुनिश्चित करेंगी।

13. ई प्रोक्योरमेन्ट प्रणाली के किया कलापों में समस्त क्रेता/आपूर्तिकर्ताओं को इस हेतु संस्तुत सक्षम एवं प्रमाणित संस्था से अपने डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणित कराये जाने चाहिए।

14. समस्त प्रपत्रों पर इस प्रकार के डिजिटल हस्ताक्षर करने से पूर्व तथा ई–प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15. ई–प्रोक्योरमेन्ट हेतु आवश्यक डिजिटल हस्ताक्षर विभागीय आधिकारियों/निविदादाता द्वारा कमशः कन्ट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॅरिटीज, भारत सरकार द्वारा नियुक्त एन0आई0सी0–नई दिल्ली, टीसीएस–मुम्बई, जीएनएफसी (एनकोडल्यूशन), सेफ स्क्रिप्ट–चेन्नई आदि अनुमन्य सर्टिफाइंग अथॉरिटीज अथवा उनके रजिस्टरिंग अथॉरिटीज में से किसी एक से निर्धारित शुल्क जमा करके प्राप्त किये जा सकते हैं।

16. विभाग के जो–जो अधिकारी निर्माण कार्यों की निविदा करने के लिए उत्तरदायी हैं, वे निविदा वर्तमान टैन्डरिंग के स्थान पर ई–टैन्डरिंग के आधार पर टैन्डर किया जाना सुनिश्चित करेंगे। ई–टैन्डरिंग में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 तथा इसमें समय–समय पर किये गये संशोधनों द्वारा निर्धारित समस्त प्राविधानों एवं प्रकियाओं का पूर्णतः अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

17 यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अ.शा. संख्याः 4938/XXVII(7)/2011, दिनांक 10 फरवरी, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या–252(1)/III(3)/2011,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
4. आयुक्त, गढवाल/कुमायूं मण्डल, पौडी/नैनीताल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य अभियन्ता, गढवाल/कुमायूं क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, पौडी/अल्मोड़ा।
7. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, उत्तराखण्ड।
9. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ट, उत्तराखण्ड शासन।
10. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

पत्र संख्या– 91 /xxvii(7)/2011

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग– 7 देहरादूनः दिनांकः 15 जून, 2011

विषयः उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अन्तर्गत न्यूनतम दर की युक्तियुक्तता का आकलन किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के सुसंगत प्राविधानों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये मुझे यह स्पष्ट किये जाने का निदेश हुआ है कि यद्यपि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के प्रस्तर 24(XIV) के अनुसार संविदा सामान्यतः न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदादाता को प्रदत्त (एवार्ड) की जानी चाहिए तथापि ऐसा करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी का यह भी दायित्व है कि मूल्य के युक्तियुक्तता (Reasonableness) का आकलन अवश्य कर लें। सामग्री के मूल्य की युक्तियुक्तता (Reasonableness) प्रचलित बाजार दर, पूर्व कय मूल्य, कच्चा माल/मजदूरी के आर्थिक सूचकांक (economic indices), अन्य इनपुट कॉस्ट तथा यथार्थ मूल्य (intrinsic value) आदि को ध्यान में रख कर आकलित की जानी चाहिए।

इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के प्रस्तर 3.(7) के क्रम में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि न्यूनतम दर पर संविदा अवार्ड करने से पूर्व यह अवश्य समाधान कर लिया जाये कि दरें युक्तियुक्त (Reasonable) तथा गुणवत्ता के अनुरूप हों।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 91 /xxvii (7)/2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. स्टॉफ आफीसर, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, नियोजन, राज्य योजना आयोग प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्या: 102 /xxvii(7)/2011

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांकः 06 जुलाई, 2011

विषयः– उत्तराखण्ड के समस्त विभागों में ई–प्रोक्योरमेन्ट सिस्टम लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक विभागों में अधिप्राप्तियों हेतु ई–प्रोक्योरमेंट व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त समस्त विभागों में अधिप्राप्तियां ई–प्रोक्योरमेंट से निम्नवत् कराये जाने का निर्णय लिया गया हैं–

(क) रु0 पांच लाख अथवा ऊपर की धनराशि की समस्त सामग्रियां एवं सेवायें।

(ख) रु0 एक करोड़ से ऊपर की धनराशि के समस्त निर्माण कार्य।

ई–टेन्डरिंग निम्नलिखित बिन्दुओं/व्यवस्थाओं के आधार पर की जायेंगी–

1. इलैक्ट्रोनिक प्रोक्योरमेंन्ट अथवा ई– प्रोक्योरमेंन्ट का तात्पर्य वस्तुओं, सेवाओं तथा कार्यो के प्रोक्योरमेंन्ट से सम्बन्धित प्रबन्धन, निविदा प्रक्रिया, अनुबन्ध गठन तथा अनुबन्ध प्रबन्धन की प्रक्रिया को इलैक्ट्रोनिक माध्यम से किया जाना है।
2. ई–प्रोक्योरमेंन्ट सिस्टम सूचनाओं के सुरक्षित आदान–प्रदान, अभिलेखों की विश्वसनीयता तथा इस माध्यम से की गयी सभी प्रकार की कार्यवाही की सम्प्रेक्षा हेतु उपलब्ध रहने की प्रमाणिकता रखेगा।
3. निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग के अवसर, निविदा प्रपत्र, प्री–बिड बैठक, निविदा खोलना तथा अनुबन्ध गठन आदि से सम्बन्धित सभी सूचनायें अनिवार्य रूप से इस सिस्टम के माध्यम से की जायेंगी तथा वे सम्बन्धित हितबद्ध जन सामान्य को उपलब्ध रहेंगी।
4. आपूर्तिकर्ता/निविदादाता प्रोक्योरमेंन्ट सिस्टम पर एक ही बार में पंजीकरण करा पायेगा तथा यदि आवश्यक हो तो यह पंजीकरण की व्यवस्था पर्याप्त समयावधि हेतु उपलब्ध रहने एवं यथाआवश्यकता परिवर्तनीय रखे जाने की व्यवस्था होगी।
5. ई– प्रोक्योरमेंन्ट सिस्टम एक मात्र तथा पूर्ण रूप से लागू किये जाने से पूर्व वर्तमान कागज आधारित (Paper based) निविदा प्रक्रिया तथा इलैक्ट्रोनिक प्रोक्योरमेंन्ट प्रक्रिया साथ–साथ संचालित की जायेगी परन्तु यथासम्भव टैण्डर आमंत्रण केवल ई–टेण्डरिंग आधार पर ही किया जायेगा तथा कागज आधारित प्रक्रिया केवल तकनीकी एवं वित्तीय निविदा का तुलनात्मक विवरण बनाने आदि तक ही सीमित रहेगा। ऐसी दोहरी व्यवस्था के अन्तर्गत टैण्डर प्रक्रिया में अभिलेख, प्रक्रिया, सूचना का आदान–प्रदान, सुरक्षा एंव प्रबन्धन से सम्बन्धित क्रियाकलाप में समानता रखी जायेगी एवं यथासम्भव निविदा प्रक्रिया में प्रारम्भिक कार्यो में वर्तमान प्रचलित कागज आधारित (Paper based) सिस्टम को प्रतिबन्धित किया जाय। कागज आधारित (Paper based) निविदा प्रक्रिया इस शासनादेश के लागू होने के 06 माह तक प्रचलित रहेगी तथा तत्पश्चात् वर्तमान दोहरी व्यवस्था को समाप्त कर एक मात्र इलैक्ट्रोनिक प्रोक्योरमेन्ट (ई–प्रोक्योरमेन्ट) प्रक्रिया ही लागू रहेगी।

6. निविदा दाता इलैक्ट्रोनिक सिस्टम पर अपने वर्क पेज पर इलैक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्रों, स्कैन किये गये प्रपत्रों आदि को रख सकेगा तथा इलैक्ट्रोनिक माध्यम, ई0 मेल से ही कार्यदायी संस्था को प्रेषित कर सकेगा।

7. सम्भावित निविदादाता तथा कार्यदायी संस्था के मध्य निविदा प्रकाशन से निविदा निस्तारण तक सूचनाओं का आदान–प्रदान पत्र, फैक्स अथवा अन्य लिखित अभिलेख/इलैक्ट्रोनिक माध्यमों से ही होगा। सम्भावित निविदा दाता एवं कार्यदायी संस्था के मध्य दूरभाष से सूचना का आदान–प्रदान वर्जित होगा।

8. कार्यदायी संस्थायें यह सुनिश्चित करेंगी कि निविदा प्राप्त करने का समय व तिथि तथा निविदा खोलने की प्रक्रिया न्यूनतम दो अधिकृत व्यक्तियों एवं यथासम्भव उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में वर्णित सम्बन्धित समिति द्वारा संचालित की जायेगी।

9. कार्यदायी संस्थायें निविदा प्रणाली को संचालित करने वाले अधिकृत व्यक्तियों की निविदा प्रक्रिया, निविदा दाताओं से सम्पर्क, निविदा प्रपत्रों तथा सम्बन्धित विषयों के सम्बन्ध में भूमिका को नियंत्रित करेगी।

10. निविदा दाता निविदा प्रक्रिया के अन्तर्गत निविदा प्राप्ति की अन्तिम समय सीमा के भीतर अपनी निविदा/प्रस्ताव में परिवर्तन, पूर्व प्रेषित निविदा/प्रस्ताव की वापसी इलैक्ट्रोनिक माध्यम से कर सकेंगे।

11. ऐसी अवस्था में जबकि सिस्टम सही प्रकार से कार्य नहीं करता है अथवा निविदा प्रक्रिया हेतु उपलब्ध नहीं रहता है, तो कार्यदायी संस्थायें सभी निविदादाताओं को निविदा प्रपत्रों में तथा वेबसाईट के माध्यम से ऐसी आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग में लाये जाने वाली प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख करेगी।

12. कार्यदायी संस्था निविदा प्रक्रिया से सम्बन्धित सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त सभी प्रपत्र अथवा इलैक्ट्रोनिक अभिलेखों को संरक्षित एवं सुरक्षित रूप से रखना सुनिश्चित करेंगी।

13. ई प्रोक्योरमेन्ट प्रणाली के किया कलापों में समस्त केता/आपूर्तिकर्ताओं को इस हेतु संस्तुत सक्षम एवं प्रमाणित संस्था से अपने डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणित कराये जाने चाहिए।

14. समस्त प्रपत्रों पर इस प्रकार के डिजिटल हस्ताक्षर करने से पूर्व तथा ई–प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15. ई–प्रोक्योरमेन्ट हेतु आवश्यक सॉफ्टवेयर एवं अन्य तकनीकी सहयोग (support) एन0आई0सी0 द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। एन0आई0सी0 ई–प्रोक्योरमेंट के नोडल तकनीकी एजेंसी रहेंगे।

16. वित्त विभाग के अधीन एक ई–प्रोक्योरमेंट सेल का सृजन किया जायेगा जो कि योजना के कियान्वयन हेतु विभागों के मध्य समन्वय करेगा।

17. ई–प्रोक्योरमेन्ट हेतु आवश्यक डिजिटल हस्ताक्षर विभागीय आधिकारियों/निविदादाता द्वारा कमशः कन्ट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, भारत सरकार द्वारा नियुक्त एन0आई0सी0– नई दिल्ली, टीसीएस–मुम्बई, जीएनएफसी (एनकोडल्यूशन), सेफ स्क्रिप्ट–चेन्नई आदि अनुमन्य सर्टिफाइंग अथॉरिटीज अथवा उनके रजिस्टरिंग अथॉरिटीज में से किसी एक से निर्धारित शुल्क जमा करके प्राप्त किये जा सकते हैं।

18. विभाग के जो–जो अधिकारी निर्माण कार्यों की निविदा करने के लिए उत्तरदायी हैं, वे निविदा वर्तमान टैन्डरिंग के स्थान पर ई–टैन्डरिंग के आधार पर टैन्डर किया जाना सुनिश्चित करेंगे। ई–टैन्डरिंग में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 तथा इसमें समय–समय पर किये गये संशोधनों द्वारा निर्धारित समस्त प्राविधानों एवं प्रकियाओं का पूर्णतः अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव

संख्याः 102 /xxvii(7)/2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमायूं उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
8. समस्त वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–7
संख्या–103/xxvii(7)/2011
देहरादूनः दिनांकः 07 जुलाई, 2011

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्याः–102/xxvii(7)/2011 दिनांकः 06 जुलाई, 2011 द्वारा उत्तराखण्ड के समस्त विभागों में ई–प्रोक्योरमेंन्ट सिस्टम लागू कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर–16 के अनुसार वित्त विभाग के अधीन ई–प्रोक्योरमेंन्ट सेल का गठन निम्नवत् किया जाता हैः–

1.	सचिव, वित्त/अपर सचिव, (वित्त अनुभाग–7)	अध्यक्ष
2.	निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें	सदस्य
3.	निदेशक एन0आई0सी0	सदस्य
4.	सलाहकार वित्त आडिट प्रकोष्ठ	सदस्य
5.	संयुक्त सचिव, वित्त	सदस्य
6.	अपर निदेशक, कोषागार	संयोजक
7.	विभागाध्यक्ष/अपर विभागाध्यक्ष वन, सिंचाई, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक निर्माण विभाग, पेयजल, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, लघु सिंचाई, विद्यालयी शिक्षा	सदस्य
8.	वित्त नियंत्रक, वन, सिंचाई, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक निर्माण विभाग, पेयजल, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, लघु सिंचाई, विद्यालयी शिक्षा	सदस्य

यह सेल योजना के कियान्वयन हेतु विभागों के मध्य समन्वय का कार्य करेगा व उसको विभागों में लागू कराने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक कार्यवाही करेगा तथा यथाआवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

पत्र संख्याः–103/xxvii(7)/2011 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सम्बन्धित प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
3. प्रधान महालेखाकार, लेखा परीक्षा, देहरादून।
4. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित विभागों के वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित अधिकारीगण।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।